संख्या-241/2022/आई/155236/41-1002(001)/1/2021

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 11 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह हेतु अनुदान सं0-44 के राजस्व मद के विभिन्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत प्रावधानित लेखानुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-27/3-लेखा/बजट आवंटन-22-23/2022, दिनांक 04.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह हेतु अनुदान सं0-44 में प्राप्त लेखानुदान के अनुसार राजस्व मद के लिए विभिन्न लेखाशीर्षों/उपशीर्षों में प्रावधानित धनराशि को निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मानक मद में उनके सम्मुख स्तम्भ-2 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख)

लेखाशीर्ष/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधानित आययकव्य-	वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3
अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001 निदेशन-तथा प्रशासन-03पर्यटन निदेशालय-नअधिष्ठा-		
01-वेतन	521.96	173.98
02मजदूरी-	5.00	01.66
03मंहगाई भत्ता-	193.13	64.38
04ययात्रा व्य-	05.00	01.66
05यरण यात्रा व्यनान्तस्था-	02.00	0.66
06 भत्तेअन्य-	0.50	0.16
07मानदेय-	0.50	0.16
08यकार्यालय व्य-	08.00	02.66
09विद्युत देय-	150.00	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10-जलकरजल प्रभार/	06.00	02.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	05.00	01.66
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	01.00	0.33
13-टेलीफोन पर व्यय	03.00	01.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00	03.33
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	05.00	01.66
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	20.00	06.66
26-मशीनें और सज्जाउपकरण / और संयंत्र	05.00	01.66
29-अनुरक्षण	15.00	05.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	03.00	01.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	02.00	0.66
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफटवेयर का क्रय/	10.00	03.33
47-कम्प्यूटर अनुरक्षणशनरी स्टेन्धीम्बतत्स/ का क्रय	05.00	01.66
49-चिकित्सा व्यय	15.00	05.00
51-वर्दी व्यय	01.00	0.33
55-मकान किराया भत्ता	55.00	11.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	000.	0.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	03.33
	योग-03/001	344.93

अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03नअधिष्ठा-		
01-वेतन	1117.13	372.38
02मजदूरी-	5.00	01.66
03मंहगाई भत्ता-	413.34	137.80
04ययात्रा व्य-	06.50	02.16
05यरण यात्रा व्यनान्तस्था-	03.00	01.00
06 भत्तेअन्य-	01.00	0.33
07मानदेय-	0.50	0.16
08यकार्यालय व्य-	07.00	02.34
09विद्युत देय-	22.00	07.34
10-जलकर जल/प्रभार	01.60	0.53
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	04.00	01.33
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	02.25	0.75
13-टेलीफोन पर व्यय	0425.	01.41
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	07.00	02.33
16-व्यावसायिक तथा विशेष	02.00	0.66

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेवाओं के लिए भुगतान		
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	30.00	10.00
26-मशीनें और सज्जाउपकरण / और संयंत्र	02.00	0.66
29-अनुरक्षण	03.00	01.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	02.25	0.75
45-अवकाश यात्रा व्यय	03.00	01.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफटवेयर का क्रय/	02.50	0.83
47-कम्प्यूटर अनुरक्षणशनरी स्टेन्धीम्बतत्स/ का क्रय	04.50	01.50
49-चिकित्सा व्यय	10.00	03.33
51-वर्दी व्यय	01.00	0.33
55-मकान किराया भत्ता	94.00	31.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	000.	0.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	01.00	0.33
	योग-03/104	582.91
अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04 अलीगढ़ फूट क्राफ्ट -इंस्टिट्यूट की स्थापना		
31-सहायता अनुदान सामान्य-(वेतन)	218.75	72.92
	योग-04/104	72.92
अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08पर्यटन पुलिस बल का गठन-		
वसायिक तथा विशेष व्या-16 सेवाओं के लिए भुगतान	300.00	100.00
य व्यअन्य-42	10.00	03.33
	योग-08/104	103.33
अनुदान सं0-44 लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-य व्यअन्य-13र प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषदउत्त-, मथुरा		
सामान्य-सहायता अनुदान-20 (गैर वेतन)	150.00	50.00
सामान्य-सहायता अनुदान-31 (वेतन)	207.97	69.32
	योग-13/800	119.32

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(6) अलीगढ़ फूट क्राफ्ट इंस्टिट्यूट की स्थापना हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) तथा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) की मदों में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि सम्बन्धित संस्था को अवमुक्त किये जाने के पूर्व विगत वर्ष में अवमुक्त/उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा तथा यदि संस्था के पास विगत वर्षों की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष हो तो उसका समायोजन निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में कर लिया जायेगा। इन मदों में पूर्व वर्षों में प्रदान की गयी धनराशि का पूर्ण व्यय विवरण/औचित्य भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करनेके पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रस्तर-2 में रखी जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-44 के लेखानुदान में व्यवस्थित धनराशि के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर-2 में अंकित स्तम्भ-1 में उल्लिखित संगत लेखाशीर्ष/मानक मद के नामे डाला जायेगा।

4- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. उपाध्यक्ष, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उ0 प्र0 मथुरा।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उ0 प्र0 मथुरा।
5. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रधानाचार्य अलीगढ़ फूट क्राफ्ट इंस्टिट्यूट, उ0 प्र0, अलीगढ़।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in